कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प 2(15)/मनरेगा/मु.अ.ज.स./सां./2019-20/163-167 दिनांक 10.07.2019

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन संभाग, कोटा/
(उत्तर) हनुमानगढ।
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन संभाग,
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।

विषयः– नदियों के क्षतिग्रस्त तटबंधों (Banks) की मरम्मत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानसून में पानी की आवक से नदियों के तटबंध (Bank) क्षतिग्रस्त हो जाते है। तटबंधों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण नदियों के किनारे बसे गाँवों/शहरो में जन–धन की हानि होती है तथा पानी का अपव्यय होता है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि आप अपने अधीनस्थ अधिशाषी अभियंताओं को निर्देशित करें कि वे उनके कार्यक्षेत्र में बहने वाली नदियों का मानसून पूर्व/पश्चात् निरीक्षण कर, क्षतिग्रस्त तटबंधों की आवश्यक मरम्मत के प्रस्ताव एवं तकनीकी तखमीने तैयार कर सम्बन्धित जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को महात्मा गांधी नरेगा योजना, केन्द्रीय राहत कोष (CRF) अथवा ग्रामीण विकास तथा पचायती राज विभाग की अन्य योजना जिसमें उक्त कार्य कराया जाना अनुमतः है, में कराये जाने हेतु स्वीकृति के लिये प्रेषित करे तथा इसकी सूचना सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को भी प्रेषित करे।

उक्त दिशा निर्देश शासन सचिव, जल ससांधन विभाग के स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

मुख्य अभियंता
जल संसाधन, राजस्थान
जयपुर

Scanned by CamScanner